

IV 10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 311955



श्री प्रमोद कुमार यादव
विवरण : ...
...
...
ट्रस्ट-डीड/न्यास पत्र

मैं डा0 प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री पराग राम यादव ग्राम - पनारी तह0 व जिला -ललितपुर (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से 11000/- देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्य प्रणाली उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों/उपलब्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

1. ट्रस्ट का नाम : महात्तरन मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय एवं : ग्राम - पनारी तह0 व जिला -ललितपुर

Pramad Kumar Yadav





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 311956

पता

(उ०प्र०)

पिन- 234403

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण विश्व
4. ट्रस्ट का उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे।

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट गठित किया जाता है-

- (1) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों, महाविद्यालयों, बी०टी०सी०, बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड०, नर्सिंग, बी०फार्मा०, एम फार्मा, बी०टेक०, एम०टेक० विधिमहाविद्यालयों, बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, हिन्दी एवं इंग्लिस माध्यम

Pranod Kumar Yadav



के इन्टर कालेज, पब्लिक स्कूल तथा मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना। आई0टी0आई एवं पालिटेकनिक कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना। चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से पारम्परिक, भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आयुर्वेदिक, नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन (मन्न) मनोविज्ञान आदि पर आधारित शिक्षा, व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास।

- (2) उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवनयापन को बढ़ावा देना।
- (3) उपरोक्त सभी क्रिया-कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ट तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।
- (4) अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के प्रबन्धक ही अधिकृत होंगे।
- (5) ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना दान एवं अन्य सहयोग से समय-समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
- (6) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में संमस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना वृ. गरीब/कमजोर/अनाथों युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के रूप में कार्य करना।

Pramod Kumar Yadav

- (7) छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधाएँ भी हों।

5. न्याय की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ:-

न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक डा० प्रमोद कुमार यादव द्वारा दिये गये 11000/- रुपये की ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा। 11000/- रुपया उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी।

- (1) ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।
- (2) इस न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियाँ तथा आयों या उसके भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय-समय पर उपयोग करना।
- (3) न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना। न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति

Pranod Kumar Yadav



- हेतु समय-समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाईसेंस पर देना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना।
- (4) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
 - (5) विभिन्न योजनाओं में लगाये न्यास के धन को वापस लेना, उसमें परिवर्तन करना या निरस्त करना।
 - (6) न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना, तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।
 - (7) सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल आदि के समक्ष वाद को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरुद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
 - (8) न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
 - (9) न्यास की सम्पत्ति या क्रिया-कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।

Pramod Kumar Yadav



- (10) न्यास या उसके संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- (11) न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियों किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगण के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- (12) न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता हो।
- (13) न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (14) न्यासीगण की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- (15) न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, दावों, मांग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।
- (16) समय-समय पर मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियों प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना

Pranav Kumar Yadav



- तथा समय-समय पर ऐसे मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।
- (17) न्यास उद्देश्यों की पूर्ति परिनियम तथा योजनाएं बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया-कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाएं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- (18) जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना या पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- (19) न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।
- (20) देश-विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्व संस्थाएँ/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठन इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- (21) संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, मांगों, दावों या वाद विवाद में जैसा वे उचित समझें समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फँसला हेतु सौपना।

Pramod Kumar Yadav



- (22) न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों का निर्धारण न्यासीगण की विवेकानुसार किया जायेगा।
- (23) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाएं, कार्पोरेशन व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तों को निश्चित करना और तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान प्राप्त ऋण वापसी इत्यादि की शर्तें इत्यादि निर्धारित करना।
- (24) न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठनों व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
- (25) न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- (26) ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।

Pramod Kumar Yadav



- (27) इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।
- (28) न्यास की सम्पत्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- (29) न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौंपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझे, परन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्धक की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उनमोचित हो जायेंगे और न्यास राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
- (30) न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चों को निश्चित करना और उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं और उन नियमों को समय-समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।
- (31) न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध-न्यासी व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

Pranod Kumar Yadav



- (32) न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।
- (33) न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक, तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तों पर ले सकते हैं जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हैं।
- (34) न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।
- (35) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति प्रबन्धक के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय व अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

7. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति का गठन-

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
(1)	डा० प्रमोद कुमार यादव	श्री पराग राम यादव	ग्राम व पो० पनारी तह० ललितपुर जिला ललितपुर	प्रबन्धक
(2)	कमलेश यादव	श्री राम पराग यादव	ग्राम व पो० बसहिया जिला आजमगढ़	अध्यक्ष
(3)	प्रभुदयाल	श्री मनोहर लाल	ग्राम व पो० बेरबई जिला झॉंसी	सदस्य

Premol Kumar Yadav



संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनाये गये अन्य साधारण सदस्यों/ट्रस्ट/न्यासी को मिलाकर सभी सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/न्यासी परिषद कहा जायेगा।

डा० प्रमोद कुमार यादव ट्रस्ट के आजीवन प्रबन्धक व कमलेश यादव आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। तदोपरान्त ट्रस्ट का प्रबन्धक एवं अध्यक्ष उनके योग्य पुत्र/पौत्र आदि ही होते रहेंगे।

प्रबन्धक एवं अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जो प्रबन्धक एवं अध्यक्ष का वंशज न हो।

8. ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता:-

न्यास पत्र के बिन्दु-7 में उल्लिखित प्रविधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य (या प्रबन्धक) नहीं बन सकता जो-

- (1) पागल/मानसिक रूप से बीमार हो।
- (2) नैतिक अपराध के आरोप में राजायाफता हो।
- (3) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करे।

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य, सदस्य बनने के बाद उक्त तीनों में से किसी एक प्रतिबन्ध के अर्न्तगत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को प्रबन्धक अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

9. ट्रस्ट की कार्यप्रणाली:-

Pranod Kumar Yadav



- (1) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रबन्धक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी।
- (2) कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।
- (3) ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष एक बार कराया जाना आवश्यक होगा, तथा बीच में भी आकस्मिक बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिये गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार-विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुए सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव/मंत्री का होगा।
- (4) ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य संख्या के 1/3 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक कराना अनिवार्य होगा।
- (5) कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा, किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष समर्थन में संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
- (6) बैठक की सूचना सदस्यों को उनके स्थायी पते पर दूरभाष के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

Prasad Kumar Yadav



- (7) ट्रस्ट से सम्बन्धित कोई विवाद आपसी सहमति से निबटाया जायेगा किसी भी प्रकार का विवाद किसी न्यायालय में लाने का अधिकार नहीं होगा। केवल पंचायत का निर्णय ही अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

10. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति:-

सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संस्थापक सदस्यों में से ही किया जायेगा। सचिव तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु किसी भी सदस्य को साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत का समर्थन न मिलने की दशा में संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त पद धारकों का चयन किया जायेगा। किसी कारणवश किसी दशा में चयन न होने पाने की दशा में प्रबन्धक द्वारा उक्त पदों पर चयन होने तक पदाधिकारियों को मनोनीत किया जायेगा। संस्थापक सदस्यों से बाहर का सचिव/मंत्री बनाने हेतु प्रबन्धक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

ट्रस्टियों/न्यासीगण के अधिकार:-

ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नवत् अधिकार होंगे-

अध्यक्ष:-

- (1) सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) बैठकों को बुलाना तथा असका अनुमोदन करना।
- (3) बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम कराना।

Pramod Kumar Yadav



- (4) बैठकों की तिथि, समय, व स्थान का निर्धारण करना।
- (5) बैठको में प्रस्ताव रखना तथा दुसरो को प्रस्ताव रखने की अनुमति देना।

प्रबन्धक:-

- (1) मतदान की स्थिति में समान मद होने की स्थिति में मतदान करना।
- (2) ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रदान करना।
- (3) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- (4) उपाध्यक्ष का चयन करना।
- (5) न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति करना।
- (6) न्यास/न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये तो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी माध्यम से सुनिश्चित करना।
- (7) न्यास के सभी पत्राचार प्रबन्धक के नाम होंगे।
- (8) न्यास की समस्त राशियों का व खातों का संचालन प्रबन्धक द्वारा ही होगा।
- (9) सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब-किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें प्रबन्धक के माध्यम से प्रस्तुत करना या प्रबन्धक द्वारा नामित सदस्य ही कोषाध्यक्ष का कार्य करेगा।

डा० प्रमोद कुमार यादव

प्रारूप कर्ता - शील चन्द जैन



Pramod Kumar Yadav



टाईप कर्ता- सौरभ यादव *Signature*

गवाह- स्वर्णनाथ माडव ७/० श्री राम अलख माडव
ग्राम- बराह मुर्द - कोल्लेगुल उत्तर प्रदेश स्वर्णनाथ माडव

गवाह- मन्शा राम माडव ७/० श्री विष्णु माडव
ग्राम- बराह मुर्द
पो- अजमलगुल किं अम्बेडकरगुल
उत्तर प्रदेश

Mansha Ram Yadav

Premod Kumar Yadav



वसुधैव कुटुम्बकम्
का चंदा या... *Signature*
वि०...
पुस्तक संस्था...
Signature ० प्रमोद कुमार यादव

आज दिनांक 17/04/2014 को
वही सं 4 जिल्द सं 34
पृष्ठ सं 305 से 334 पर क्रमांक 10
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवा
मेवालाल पटेल
उपनिबंधक सदर,
ललितपुर
17/4/2014

